27.11.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/1887 दिनांक 24.10.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 13.11.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावें। इसके पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः नोटिस क्रमांक आर.टी.आई/19/1936 दिनांक 05.11.2019 जारी कर अपील का बिन्दुवार जवाब दिनांक 13.11.2019 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.06.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 09.10.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा अपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने पर अप्रालार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को नोटिस जारी किया गया।	SDO आमेर का पत्रांक 1707 14/11/19 प्राप्त पालना पत्रांक जारी 2269-70 10/12/19

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पत्रांक आर.टी.आई/2019/1707 दि0 14.11.2019 द्वारा यह अवगत कराया है कि प्रार्थी अशोक कुमार मीना को उनके कार्यालय के पत्रांक 968 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई शेष सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत प्रश्नवाचक होने के कारण देय नही होने पर उपलब्ध नही कराई गई है। चूंकि राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा नियमानुसार प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2020.02.12 12:29:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: